

कार्यालय न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, बसेडी जिला धौलपुर

क्रमांक / 81

दिनांक :- 31.03.2020

आम सूचना

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम की दिशा में जारी परिपत्र क्रमांक 08/पी.आई./2020 दिनांक 17.03.2020, 12/पी.आई./2020 दिनांक 24.03.2020 एवं 13/पी.आई./2020 दिनांक 30.03.2020 के माध्यम से प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 14.04.2020 तक के कार्यदिवसों में केवल निम्न प्रकृति के अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी,

- 01 जमानत प्रार्थना पत्र
- 02 रिमाण्ड प्रकरण
- 03 आदेश/ स्थगन सम्बन्धी प्रकरण
- 04 सुमुदगी प्रार्थना पत्र
- 05 अपील की दशा में राजा स्थगन प्रार्थना पत्र
- 06 एव ऐसे अन्य प्रकरण जो कि न्यायालय की राय में अत्यावश्यक प्रकृति के हों।

उपरोक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत् सुनवाई हेतु तिथियाँ सुनिश्चित की जाती हैं। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरण में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा।

क्र.स.	सुनवाई की तिथि	ऐसे मामले में जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है, उनमें सुनवाई की तिथि	और अन्य मामलों में सुनवाई की तिथि
1	01.04.2020	15.04.2020	15.05.2020
2	03.04.2020	17.04.2020	16.05.2020
3	04.04.2020	18.04.2020	16.05.2020
4	07.04.2020	21.04.2020	19.05.2020
5	08/09.04.2020	23.04.2020	20.05.2020
6	13.04.2020	27.04.2020	21.05.2020

परिवर्तित तिथियाँ शीघ्र ही सीआईएस 30 पर अपडेट कर दी जावेगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गयी है कि कोई पक्षकार अपने प्रकरणों को अत्यावश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई चाहता है तो वह इस संघर्ष में कारणों को अंकित करते हुए न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर सकता है। उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने जाने की दशा में यदि न्यायालय सुनवाई के पश्चात यह उचित पाता है कि मामला वास्तव में अत्यावश्यक प्रकृति का है, तो वह ऐसे प्रकरणों की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा। नवीन प्रकरणों की सरिथति पूर्ण की भांति जारी रहेगी परन्तु यह प्रयास किया जावे कि उक्त स्थिति में भी केवल आवश्यक व्यक्ति ही न्यायालय परिसर में उपस्थित आवें।


न्यायाधिकारी

ग्राम न्यायालय बसेडी

प्रतिलिपि

- 1 अधिका, अधिवक्ता संघ बाड़ी, को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस सूचना से सम्बन्धित अभिभाषकगण को सूचित करावे तथा अभिभाषकगण से भी अनुरोध करें कि वे अपने पक्षकारों को प्रकरणों की तारीखों को सूचना मांगवाईल आदि से दूरे ताकि वे न्यायालय में आने से बचे और संक्रमण मुक्त व सुरक्षित रहे।
- 2 आदेश की प्रति सिस्टम अस्सिस्टेंट को प्रेषित कर लेवें है कि आम सूचना न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।
- 3 सूचना की प्रति न्यायालय के नाटिस बोर्ड पर विपणित जावे।
- 4 कार्यालय प्रति


न्यायाधिकारी

ग्राम न्यायालय बसेडी